NH Debate - 19

भारतीय केबिनेट का तलाक के बाद पति की पैतृक सम्पत्ति में पत्नी का हक़ कानून, विधवा-हक़ और खाप समाज - (जुलाई 17, 2013)

मुझे आश्चर्य हुआ यह जानकर कि भारतीय सविंधान में अभी तक औरत को **'पति की पैतृक सम्पत्ति में हक़'** नहीं था, जबकि यदा-कदा तालिबानी और रूढ़िवादी कही जाने वाली खापों के समाज में यह हक़ तब से है, जब से खापें बनी थी, यानी सदियों पहले से| जो भी हरियाणा या खापलैंड का मूल-निवासी होगा, वह अच्छे से यह बात जानता होगा कि शादी होने के साथ ही बेटी का **'सामप्तय हक'** पति के साथ जुड़ जाता है *(हालाँकि पिता की सम्पत्ति में भी उसका हक़ रहता है)*| और **'रिश्ते बराबर वालों में होने चाहिए'**, यह कहावत इसी नियम के आधार पर बनी थी कि बेटी का रिश्ता बराबर वाले घर में किया जाए, ताकि उसको पति के घर भी पिता के घर के बराबर या इसके हेर-फेर में ही सम्पत्ति-जायदाद मिले| और कम या अधिक में 19-20 से ज्यादा अंतर ना हो (*हालाँकि आज के बदलते हरियाणवी समाज की एक सच्चाई यह भी है कि जहां आज से एक दशक कहो या दो दशक पहले जमीन-जायदाद और सामाजिक प्रतिष्ठा को रिश्ता होने की लाजिमी शर्त माना जाता था अब वह जमीन-जायदाद से खिसक कर सामाजिक प्रतिष्ठा और वर-वधु के शैक्षणिक व् रोजगार पाने या करने की क्षमता पर आ चुके हैं और जमीन-जायदाद कहीं महत्व रखती भी है तो शायद सबसे निचले पायदान पर*|)|

तलाक होने की अवस्था: पुराने खाप समाज में यदि तलाक हो जाते थे तो बेटी बाप के घर वापिस आ जाती थी, लेकिन उसके गुजारे-भत्ते के लिए पति को मुवावजे के रूप में 9 मण अनाज सालाना व् एक समाजिक पंचायत द्वारा निर्धारित न्यूनतम आर्थिक राशी तब तक देनी होती थी जब तक या तो वह लड़की दूसरा विवाह ना कर ले या फिर वह जब तक जीवित रहती| और अगर यदि तलाकसुदा जोड़े की औलादें होती तो औलाद किसके साथ रहेगी यह औलाद के बालिग़ होने पर औलाद की इच्छा पर छोड़ा जाता था और तब तक अगर औलाद माँ के पास रहती तो पिता को उस औलाद के लालन-पालन का खर्च भी वहन करना होता था| पति पर यह नियम तब तक लागू रहता था जब तक पत्नी स्व-इच्छा से पति को इन जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं कर देती थी| तलाक होने की परिस्थिति में लड़की-पक्ष द्वारा दिए गए दहेज़ को पति पक्ष को वापिस करना होता था और कई विशेष अवस्थाओं जैसे कि अगर तलाक के वक्त जोड़ा बे-औलादा यानी उनकी कोई संतान नहीं है और ब्याह को 1-2 वर्ष ही हुए हैं तो ब्याह के खर्चे का पूरा या आंशिक हिस्से का खर्च भी लड़की पंचायत द्वारा पति से मांग सकती थी| तलाक के मामले में यही खाप के कानून होते थे|

विधवा का हक़: खाप कहो या हरियाणवी ग्रामीण समाज, उसमें में जब कोई बेटी-बहु विधवा *{असल तो हरियाणवी ग्रामीण समाज में हर विधवा के आगे पुनर्विवाह का विकल्प खुला रहता है* (यहाँ कुछ अन्य समाजों की तरह विधवा को मनहूस मान, ताउम्र सिसकने के लिए नहीं छोड़ा जाता), *लेकिन यदि वह पुनर्विवाह ना करना चाहे तो उसके पति की सम्पत्ति उसके और उसके बच्चों के नाम रहती है| यहाँ एक बात और जोड़ता चलूँ कि यदि वह पुनर्विवाह कर भी लेती है तो यह उसकी इच्छा पर छोड़ा जाता है कि वह पहले पति से अर्जित सम्पत्ति को पहले पति के बच्चों तक सिमित रखना चाहती है या नवपति से अर्जित बच्चों के साथ भी बाँटना चाहती है|}* विधवा होने के बाद बेटी पिता के घर में रहे या पति के, उसका और उसकी औलाद का उसके पति की सम्पत्ति पर हक़ स्वत: बनाया गया है| हरियाणा के ग्रामीण समाज के हर गाँव की लगभग हर जाति *(विशेषकर खापों वालियों में)* में ऐसे उदहारण दहाई के आकंड़ों में देखे जा सकते हैं|

हाँ एक बात जरूर है कि कुछ बुद्धिजीवी *(चाहे उन्होंने खुद के घरों में यह चीज लागू की हो या ना की हो)* यदा-कदा शिकायत करते देखे गए हैं कि पति की सम्पत्ति में पत्नी का हक़ तो बन जाता है परन्तु वो सम्पत्ति कानूनी तौर पर उसके नाम होती

तभी है जब उसका पति चल बसे; लेकिन फिर भी इसमें एक स्थाई सत्यता सार्वकालिक रहती है | हालाँकि स्थानीय समाज इसके पीछे ब्याह होते ही सम्पत्ति को पति-पत्नी में बराबर से बाँटने की इतनी देरी करने के पीछे कारण बताता है, '**नए रिश्ते की लम्बा चल पाने की अस्थिरता को**'| और इस संशय की स्थिति से खाप सहित सर्व 36 जातीय एवं सर्व-धर्म समाज ग्रसित है| गाँव तो क्या शहरों में पढ़ा-लिखा सभ्रांत समाज भी अभी तक इस संशय वाली सोच से उभर नहीं पाया है| और हाल-फिलहाल में इसका कोई दो टूक रास्ता भी नजर नहीं आता|

एक सवाल: क्या भारतीय सविंधान यह नहीं जानता कि उसने बेटा-बेटी को पिता की पैतृक सम्पत्ति में बराबर का हक़ दिया हुआ है? तो फिर बेटी जो कल को पत्नी बनेगी उसकी पैतृक सम्पत्ति में उसके पति का भी बराबर का हक़ होगा, ऐसा कानून भी केबिनेट ने एक साथ पारित क्यों नहीं किया, जैसे पति के लिए किया?

निष्कर्ष: मुझे लगा इस कानून में कुछ नया आया होगा, लेकिन कम से कम इस कानून में ऐसा कुछ नया नहीं मिला|

विशेष: हालाँकि लेखक समाज में किसी भी अपवाद से इनकार नहीं करता, फिर भी इस लेख में जो भी बातें की गई हैं वो सब की सब सत्यता और धरातलीय सच्चाई पर आधारित हैं, आप आपका कोई भी संशय लेखक के आगे बेझिझक रख सकते हैं|

संदर्भ: वह विडियो जिसके आधार पर यह लेख लिखा गया:

http://khabar.ndtv.com/video/show/news/283445

http://khabar.ndtv.com/video/show/prime-time/283565

http://khabar.ndtv.com/video/show/prime-time/232694

खाप समाज में पति-पत्नी और औलादों के बीच सम्पत्ति बंटवारे के नियम सविस्तार इस वेब-पृष्ठ पर पढ़ें: http://www.nidanaheights.com/choupal-property.html

Phool Kumar Malik

Nidana Heights

17/07/2013